संख्याः— 7235/III(2)/11-139(सामान्य)/2011

दिनांक 24 दिसम्बर 2011

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर—1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 24 दिसम्बर, 2011

लोक निर्माण अनुभाग—2

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2011—12 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये कुल 30 कार्यो से सम्बन्धित प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लागत ₹ 1470.62 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1470.62 लाख (₹ चौदह करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में व्यय हेतु संलग्नक के कॉलम सं0:—5 पर अंकित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 30 कार्यो हेतु धनराशि ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख मात्र) के व्यय की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(i)— उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:—1764/III(2)/10—17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)— आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)— स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स—2008 एवं उक्त के विषय में समय—समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:— 2047/XIV—219(2006) दिनांक 30—05—2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

शासनादेश संख्याः– 1235 / III(2) / 11–139(प्रा0आ0) / 2011 दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी वित्त द्वारा संस्तुत लागत	वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
2	3	4	5
जनपद पौड़ी गढ़वाल में तिमली से खरकोटा होते हुये कालिंका मन्दिर सुनार ढाढरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	37.80	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौडी के अन्तर्गत बुआखाल–गहड हल्का वाहन मिसिंग भाग का मोटर मार्ग में परिवर्तन।	1.30	4.49	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत तुनाखाल– मनकोट– किंर्खू मोटर मार्ग का डामरीकरण।	5.800	1.80	0.10
मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में बौंसाल–भेटी मोटर मार्ग के किमी0 1 में 60.00 मीटर स्पान के स्टील गर्डर मोटर पुल का निर्माण।	60.00 मी0 स्पान	4.80	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत बडखोलू–साकनीखेत–बडखोलू–रौतेला–काण्डा–बौसाल मोटर मार्ग का नव निर्माण।	12.00	151.20	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल में घन्डियाल– देवल–बडेगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण।	8.00	100.80	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड–कल्जीखाल के अन्तर्गत कांसखेत– आसुई–नौगांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	5.00	63.00	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल में क्षतिग्रस्त बड़खोलू झूलापुल के स्थान पर 90.00 मी0 स्पान के स्टील गर्डर मोटर पुल का निर्माण।	90.00 मी0 स्पान	7.20	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड पाबौ के अन्तर्गत सिमतोली सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3.00	37.74	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चमधार सिंरो–नउकोटी– खोगसा–तीर– महड़–साकनीखेत मोटर मार्ग का नव निर्माण।	10.00	126.00	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल में श्रीकोट गंगानाली ऊपरी हिस्से को पौड़ी–खिर्सू–श्रीनगर मोटर मार्ग के किमी0 46 (रतूड़ा बैण्ड) तक का निर्माण कार्य।	3.00	37.80	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल में गवाणा मोटर मार्ग के किमी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (आगणन 02 चरणों में प्राप्त)	7.00 (4.00 + 3.00)	88.20 (50.40 + 37.80)	0.10

29	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिद्धबली मंदिर को जाने वाले पुराने मार्ग गाड़ीघाट ग्रास्टनगंज के मध्य खो नदी पर 105 मी0 स्पान के झूलापुल का निर्माण कार्य।	105 मी0	5.25	0.10
30	जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक से ग्राम मैईला-तड़ीगाव मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.00	50.40	0.10
	योग:—		1470.62	**3.00**

(₹ तीन लाख मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

(1) = 16.000